न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :–04 / 19 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 11–01–2019 श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

1. मगन बाई धर्म पत्नी रतनसिह जाति राजपुत उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बडका पाड़ा पंचायत चौण्डियावास तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. श्रृंगार कंवर पुत्री ईश्वर सिंह धर्म पत्नी जयसिंह जाति राजपुत उम्र 48 वर्ष निवासी कुबेर नगर अहमदाबाद गुजरात

(वादीगण)

बनाम्

1. कुलदीप सिह } पि0 स्व0 गिर्राज सिंह
2. राजेन्द्र सिंह }
3. स्परूप कुमारी पत्नी स्व0 गिर्राज सिंह
4. करतार सिंह }
5. शंकरसिंह } पि0 स्व0 सम्पतसिंह
6. गोपालसिंह }

(क्रम 1 से 6) जाति राजपुत निवासी ग्राम बडका पाड़ा पंचायत चौण्डियावास तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

7. सोनूकंवर पुत्र ईश्वर सिंह पत्नी मानसिंह जाति राजपुत निवासी मदाणी नगर असावरा अहमदाबाद गुजरात
8. गिर्राज सिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडका पाड़ा पंचायत चौण्डियावास तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0
10. संतोष कवंर पत्नी सरदार सिंह पुत्री सम्पत सिंह जाति राजपुत नि0 बडा गाव तहसील दौसा जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित :– वादीनीगण की ओर से श्री वैभव गुरावा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6, 8, 10 की ओर से श्री देवीसिंह एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री संजय पारीक एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 9 की आरे से पैरोकार सरकार

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 99 / 19

रज्जू दिनांक 09–07–2019

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.

1. कुलदीप सिंह } पि0 स्व0 गिर्राज सिंह | जाति राजपुत निवासी ग्राम बडका
2. राजेन्द्र सिंह } | पाड़ा पंचायत चौण्डियावास तहसील
3. स्वरूप कुमारी पत्नी स्व0 गिर्राज सिंह | लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. करतार सिंह } पि0 स्व0 सम्पतसिंह | जाति राजपुत निवासी ग्राम बडका
2. शंकरसिंह } | पाड़ा तहसील लालसोट जिला
3. गोपालसिंह } | दौसा राज0
4. संतोष कंवर पुत्री सम्पत्त सिंह |
5. मगन बाई पत्नी रतनसिंह |
6. सोनूकंवर पुत्री ईश्वर सिंह पत्नी मानसिंह जाति राजपुत निवासी मदाणी नगर असावरा अहमदाबाद़ गुजरात
7. श्रृंगार कंवर पुत्री ईश्वर सिंह धर्म पत्नी जयसिंह जाति राजपुत उम्र 48 वर्ष निवासी कुबेर नगर अहमदाबाद गुजरात
8. गिर्राज सिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडका पाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 24/12/2020

उपस्थित :– वादीगण की ओर से श्री देवीसिंह एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की ओर से श्री वैभव गुरावा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री संजय पारीक एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 111 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाकै राजस्व ग्राम बड़का पाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसमे वादीनी का हिस्सा क्रमशः 1/9 व 1/18 का दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार है। आराजी वादग्रस्त कानूनन अविभाजित है परन्तु पक्षकारान ने मौके पर बहामी तौर पर विभाजन कर रखा है

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने अपने हिस्से का लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी मे वादीनी ने अपने हिस्से की आराजी को अपनी मेहनत व परिश्रम से लाखो रूपये खर्च कर उपजाउ व समतल बनाया है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 आये दिन वादीगण के हिस्से मे आयी कब्जे काश्त की भूमि मे दखलन्दाजी कर बेदखल कर रहन बैय हस्तान्तरण करने की धमकी देते है तथा अपनी अपनी सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। वादीनी एक अत्यन्त ही गरीब एवं असहाय महिलाएं है तथा वर्तमान मे अपने हिस्से की भूमि में फसल काश्त कर रही है तो अभी दिनांक 08–01–2019 को खड़ी फसल को जबरन रौदने करने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 वादीनीयो के हिस्से की आराजी पर आये तो वादीनी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने से मजबूरन दखल देने लगे और मनबट से भी अंकार करने लगे एवं कहने लगे कि हम इस भूमि को उंचे दामो मे बेचेगें। इसलिए वादीनी को प्रतिवादीगण द्वारा बेजा धमकी से वाद कारण उत्पन्न होकर वादीनी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया। तथा अनुतोष चाहा की वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवा कर अलग अलग लगान निर्धारित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा शीट मे अमल दरामद करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार लालसोट को निर्देशित फरमावे तथा वादीनी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट बाधा पैदा न करे न करावे स्वयं अपने परिवार सहित सदैव प्रतिबंधित रहे एवं वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकास्मा होने तक उसका रहन बैय हस्तानान्तरण नही करे राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण का वादपत्र मुताबिक वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया गया व तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह चौहान द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं जवाब व तलबी आदेश हेतू पत्रावली नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह मय पक्षकारान इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा अनुतोष चाहा की वादीनी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमा दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री संजय पारीक ने उपस्थित वकालतनामा मय इकबालिया जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

चाहा की वादीनी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिकी फरमा दिया जावे। व प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पैराकर उपस्थित। पत्रावली वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के कारण उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की सहमति से पत्रावली अंतिम बहस पर नियत की गई।

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ द्वारा उक्त प्रकरण सामान खातेदार व एक ही खसरा नम्बरान भूमि के विवाद होने का विवाद होने के कारण दो पृथक पृथक वाद पत्र पेश किये उक्त दोनो वाद पत्र मे समान अनुतोष होने के कारण उक्त दोनो प्रकरणो का कन्सोलिडेट किये जाकर निर्णय साथ किया जाता है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजी 111 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाकै राजस्व ग्राम बड़का पाड़ा तहसील लालसोट में वादीनी का मुताबिक राजस्व अभिलेख हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर कब्जे अनुसार किया जाकर लगान पृथक पृथक निर्धारित कर नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतू प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार लालसोट को आदेशित फरमाये जाने एवं वादीनी के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण रूकावट बाधा पैदा न करे न करावे स्वंय अपने परिवारजन सहित प्रतिबंधित रहे तथा विधिवत तकास्मा होने तक वादग्रस्त आराजी का रहन बैय हस्तानान्तरण नही करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादीनी का वादपत्र वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजी 111 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाकै राजस्व ग्राम बड़का पाड़ा तहसील लालसोट में मुताबिक राजस्व अभिलेख वादीनीगण के हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से वादीनी के वादपत्र के समर्थन मे इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है अतः वादीनी का वादपत्र प्राथमिक तौर पर डिकी किया जाना तथा मुताबिक राजस्व अभिलेख हिस्से अनुसार उभपक्षकारान किसी एक दुसरे के कब्जे काश्त मे मदाखलत व दखलन्दाजी नही करने एवं विधिवत विभाजन नही होने तक वादग्रस्त आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

रहन बय हस्तानान्तरण नही करने हेतू प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 111 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बड़का पाड़ा तहसील लालसोट में स्थित है जिसमे मुताबिक राजस्व अभिलेख वादीनी का हिस्सा दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख पक्षकारान हिस्से अनुसार वादीनी का वाद पत्रं प्राथमिक रूप से डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराज़ीयात का विधिवत रूप से मुताबिक नजरी नक्शे उभयपक्षो की मोजुदगी में मौके पर जाकर तीन तीन प्रतियो मे कुरेजात तैयार कर नियत दिनांक 19/1/2021 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें एवं उभयपक्षो को इस आशय से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी मे एक दुसरे के कब्जे काश्त में मदाखल व दखलन्दाजी नही करें एवं विधिवत विभाजन नही होने तक वादग्रस्त आराजी का रहन बय हस्तानान्तरण नही करें। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते कुरेजात दिनांक को पेश हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज०

गिर्राजसिंह पत्रावली पेश की। पक्षकार उप.

14-6-21 अभिभाषक उप। प्रकरण में सुना गया। बहस की बाद पक्षकारो की सहमति से कुलावकी [illegible] अंतिम तौर पर डिक्री किया जाता है। पत्रावली में पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसला दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज